भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

विधि कार्य विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2144

जिसका उत्तर शुक्रवार, 29 जुलाई, 2022 को दिया जाना है

विधिक माध्यस्थम केन्द्र

2144. श्री मन्ने श्रीनिवास रेड्डी :

श्री कोमती रेड्डी वेंकट रेड्डी :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर लोक अदालतों, ग्राम न्यायालयों, मध्यस्थता और माध्यस्थम केंद्रों, जिनके पास लाखों लोगों को उनकी शिकायतों के समाधान के लिए एक मंच प्रदान करके देश के कानूनी परिदृश्य को बदलने की क्षमता है, के माध्यम से वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) की अवधारणा पर दो दिवसीय सम्मेलन के दौरान मध्यस्थता और सूचना प्रौद्योगिकी पर कोई चर्चा हुई थी, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और परिणाम क्या हैं ;

(ख) क्या सरकार ने लाखों लोगों को न्याय दिलाने और लंबी कानूनी कार्यवाही के बगैर उनकी शिकायतों का निपटान करने की आवश्यकता पर बल दिया है, यदि हां, तो न्यायालय-वार ब्यौरा क्या है और इससे क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं ; और

(ग) क्या मामला प्रबंधन के हिस्से के रूप में समझौता और मध्यस्थता को अनिवार्य बनाने के लिए न्यायालयों द्वारा सक्रिय प्रयास किए जाने की आवश्यकता है, यदि हां, तो अब तक इसका ब्यौरा और वर्तमान स्थिति क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री

(श्री किरेन रीजीजू)

भाग (क) : जी हां, "माध्यस्थम् और सूचना प्रौद्योगिकी" पर दो दिवसीय राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन माननीय गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा तारीख 9 और 10 अप्रैल, 2022 को एकता नगर, जिला नर्मदा, गुजरात में आयोजित किया गया था ।

भारत के माननीय राष्ट्रपति ने उक्त सम्मेलन का आरंभ करते समय कहा था कि न्यायपालिका में एडीआर तंत्र और आईसीटी अनेक कारणों से महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि

दोनों इस तंत्र को अधिक दक्ष बनाने में सहायता करेंगे और इस प्रकार यह न्याय परिदान करने में अधिक समर्थ होगा । भारत के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति ने अपने भाषण में यह कहा था कि एडीआर की संकल्पना लोक अदालतों, ग्राम न्यायालयों, मध्यकता और माध्यस्थम् केंद्रों के माध्यम से भारत के विधिक तंत्र को, उनकी शिकायतों के निपटान के लिए लाखों लोगों को एक मंच उपलब्ध करके, परिवर्तित करने की सक्षमता है । उन्होंने आगे कहा था कि न्यायिक प्रक्रिया में एडीआर तंत्रों को प्रभावी रूप से आत्मसात करने से मामलों के लंबन में कमी, न्यायिक संसाधनों और समय की बचत हो सकती है तथा विवाद समाधान प्रक्रिया और उसके निर्णय पर कुछ हद तक नियंत्रण वादकारियों को अनुज्ञात किया जा सकता है । उन्होंने बल दिया कि प्रौद्योगिकी को फायदाप्रद रूप से न्यायिक तंत्र में लगाया जा सकता है । इसमें प्रक्रिया का सरलीकरण करने की सक्षमता है । भारत के न्यायालयों ने प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना आरंभ कर दिया है और ऐसी विभिन्न पहल की हैं, जैसे ई-फाइलिंग, कंप्यूटर एसिस्टेड ट्रांसक्रिप्शन, डाक्यूमेंट डिस्पले सिस्टम और एक आईटी अवसंरचना के अधीन न्यायालयों का एकीकरण । हाल ही में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने एनक्रिप्टिड इलैक्ट्रानिक रूपविधान में अति-आवश्यक न्यायालय आदेशों को त्वरित और सुरक्षित परिदान के लिए एक डिजीटल प्लेटफार्म "फास्टर" प्रारंभ किया है । यह बिना किसी विलंब के न्यायालय आदेशों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगा ।

भाग (ख) : सरकार का यह प्रयास है कि मामलों के भार में कमी करने और त्वरित न्याय परिदान करने के लिए न्यायिक तंत्र में सुधार करने के लिए बेहतर समन्वय हेतु न्यायपालिका और विधान-मंडल एक साथ एक दिशा में कार्य करते हैं । सरकार एडीआर तंत्रों को बढ़ावा दे रही है, जिसके अंतर्गत माध्यस्थम् और मध्यकता भी है, क्योंकि ये तंत्र कम प्रतिकूल हैं और विवाद समाधान के पारंपरिक पद्धतियों का बेहतर विकल्प उपलब्ध कराने में सक्षम है । एडीआर तंत्रों के प्रयोग से न्यायपालिका पर भार में कमी आना अपेक्षित है और इसलिए, ये देश के नागरिकों को समय से न्याय दिलाने में समर्थ होंगे ।

माध्यस्थम् को व्यवहार्य विवाद समाधान तंत्र के रूप में समर्थ बनाने के लिए सरकार ने माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 का वर्ष 2015, वर्ष 2019 और वर्ष 2021 में संशोधन किया है । ये परिवर्तन माध्यस्थम् कार्यवाहियों के समय से समापन, माध्यस्थम् प्रक्रिया में न्यूनतम न्यायिक हस्तक्षेपों, माध्यस्थम् पंचाटों के प्रवर्तन और देश के सांस्थानिक माध्यस्थम् का संवर्धन सुनिश्चित करने के लिए

क्रांतिकारी बदलाव के समर्थकारी संकेत हैं । वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 का वर्ष 2018 में पूर्व संस्थित मध्यकता और समझौता (पीआईएमएस) तंत्र का उपबंध करने हेतु संशोधन किया गया था । इस तंत्र के अधीन, जहां किसी विनिर्दिष्ट मूल्य के वाणिज्यिक विवाद में अत्यावश्यक अंतरिम अनुतोष की अपेक्षा नहीं है, वहां पक्षकारों को न्यायालय के समक्ष जाने से पूर्व पीआईएमएस का उपचार आज्ञापक रूप से पहले प्राप्त करना होगा । इसका लक्ष्य मध्यकता के माध्यम से वाणिज्यिक विवादों का समाधान करने के लिए पक्षकारों को एक अवसर उपलब्ध कराना है ।

सरकार ने, मध्यकता पर एकमात्र विधि अधिनियमित करने के लिए तारीख 20.12.2021 को राज्य सभा में मध्यकता विधेयक, 2021 भी पुर:स्थापित किया है । यह विधेयक, अन्य बातों के साथ, वाणिज्यिक या उससे भिन्न विवादों के समाधान का उन्नयन करने, प्रोत्साहन देने और सुकर बनाने के लिए, मध्यकता किए गए समझौता करारों को प्रवृत्त करने और भारत के मध्यकता परिषद् को स्थापित करने के लिए है ।

इसके अतिरिक्त, एडीआर तंत्रों का न्यायालयों के बाहर प्रयोग किया जाता है, इसलिए, इस संबंध में न्यायालय-वार आंकड़ा उपलब्ध नहीं है ।

भाग (ग) : वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 की धारा 12क के अनुसार, जहां किसी वाद में इस अधिनियम के अधीन किसी अत्यावश्यक अनुतोष की अपेक्षा नहीं है, वहां पक्षकारों को पहले विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अधीन गठित प्राधिकारियों के माध्यम से संचालित पूर्व संस्थित मध्यकता और समझौता का उपचार प्राप्त करने का प्रयास करना होगा । यह भी कि न्यायालय कार्यवाहियों के दौरान न्यायनिर्णायक प्रक्रिया का त्वरित निपटान करने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता (सीपीसी), 1908 का विनिर्दिष्ट मूल्य के वाणिज्यिक विवादों के लिए इसके उपयोजन में संशोधन किया गया है । सीपीसी का आदेश 15क, ऐसे विवादों को लागू होता है, जहां मामला प्रबंध सुनवाइयों के लिए उपबंध करता है । यह भी कि सीपीसी की धारा 89 के अनुसार, यदि न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि समझौते का कोई तत्व विद्यमान है, जो पक्षकारों द्वारा स्वीकार्य हो, तो न्यायालय समझौते के निबंधनों को बनाएगा और पक्षकारों को उनकी टीका-टिप्पणी के लिए देगा तथा पक्षकारों की टीका-टिप्पणी प्राप्त करने के पश्चात्, उसे माध्यस्थम् ; सुलह ; न्यायिक समझौते, जिसके अंतर्गत लोक अदालत के माध्यम से समझौता भी है या बीच-बचाव के लिए निर्दिष्ट करेगा ।

****